



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61133

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जन हित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 445/2026

शतेन्द्र कुमार

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : बशिष्ठ नारायण पाण्डेय

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता, रवीन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. जब प्रकरण को 12 मार्च, 2026 को नए प्रकरण के रूप में लिया गया, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया: -

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री आर.सी. श्रीवास्तव, राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान जनहित याचिका दायर की गई है:-

"क) प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को यह आदेश/निर्देश देने हेतु परमादेश (mandamus) की प्रकृति में रिट जारी की जाए कि वे निजी प्रतिवादी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाएँ तथा खसरा संख्या 52, क्षेत्रफल 0.0480 हेक्टेयर; खसरा संख्या 56, क्षेत्रफल 0.0410 हेक्टेयर; खसरा संख्या 58, क्षेत्रफल 0.0720 हेक्टेयर; खसरा संख्या 51, क्षेत्रफल 0.1780 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 54, क्षेत्रफल 0.0610 हेक्टेयर, जो राजस्व ग्राम बध्या, तप्पा



अतरौह, परगना बस्ती पश्चिम, जनपद बस्ती में स्थित है, को उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित किया जाए, जो कि राजस्व अभिलेख में "गढ़ा" एवं "बंजर" के रूप में दर्ज है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने पी.आई.एल. संख्या 2000/2024 दायर किया है, जिसे दिनांक 3.10.2024 के आदेश द्वारा निस्तारित किया गया था, जिसमें राजस्व अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत लंबित पांच प्रकरण को उत्तर प्रदेश राजस्व नियम, 2016 के नियम 67 (6) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार तय करने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, प्रत्यर्थी संख्या 6 और अन्य के खिलाफ निष्कासन और क्षति का आदेश तदनुसार पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 5-सरजू सिंह द्वारा अपील दायर की गई थी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 8.9.2025 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और प्रकरण को तहसीलदार के समक्ष वापस भेज दिया गया था ताकि संबंधित भूखंड का उचित सर्वेक्षण किया जा सके और विधि अनुसार प्रकरण का निर्णय भी किया जा सके जैसा कि यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि यह पाया जाता है कि आवेदक के पास प्रश्न में भूखंड पर कब्जा है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (ए) के तहत प्रदान किए गए निपटान के लिए पात्रता पर भी कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

4. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अपीलीय आदेश के बावजूद, दूसरी जनहित याचिका दायर की गई है, हालांकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रकरण लंबित है। उन्होंने प्लॉट संख्या 51 पर अवैध अतिक्रमण के लिए याचिकाकर्ता-कपिलदेव सिंह के बेटे शर्तेन्द्र कुमार सिंह को नोटिस जारी किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के कहने पर जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रत्यर्थी संख्या 6-अवधेश सिंह और प्रत्यर्थी संख्या 7-रमेश सिंह द्वारा दायर 2023 के सिविल सूट संख्या 883 की प्रति याचिकाकर्ता के पिता को प्रत्यर्थी के रूप में पेश किया।

5. इस प्रकरण को 23.3.2026 को सुबह 10:15 बजे नये प्रकरण के रूप में पेश करें।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे कि निजी प्रत्यर्थीगण के पक्ष में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के तहत अपील



में पारित आदेश के मददेनजर दूसरी जनहित याचिका कैसे सुनवाई योग्य है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अदालत को यह भी सूचित करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कोई कार्यवाही याचिकाकर्ता के खिलाफ गांव सभा भूखंड के संबंध में लंबित है।”

2. प्रत्यर्थी संख्या 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत वाद संख्या-11200/2024 में पारित दिनांक 20.06.2025 के आदेश को न्यायालय के समक्ष रखा है, जिसमें याचिकाकर्ता का बेदखली आदेश गांव- बधैया, तहसील- हरैया, जनपद बस्ती में स्थित प्लॉट संख्या 51 से पारित किया गया है, जिसको राजस्व रिकॉर्ड में 'बंजार' के रूप में दर्ज किया गया है।

3. याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.03.2026 के पूर्वोक्त आदेश में निहित इस न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में कोई हलफनामा दायर नहीं किया है, जिसमें उसके खिलाफ की गई उपरोक्त कार्यवाही का खुलासा किया गया हो। इस स्वीकार किए गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा समान भूखंडों के संबंध में दायर किया गया यह दूसरा पी.आई.एल. है, वर्तमान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 67 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान पी.आई.एल. में निर्दिष्ट भूखंडों के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पहले ही प्रासंगिक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, जिसमें विभिन्न चरणों में उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित है।

4. मेरी राय में इस न्यायालय से वर्तमान पी.आई.एल. में कोई और निर्देश आवश्यक नहीं है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान पी.आई.एल. निष्फल हो जाने के बाद, तदनुसार खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार)

23 मार्च, 2026

वीरेंद्र